संख्या– 7611/नौ-5-2024-कम्प्यूटर संख्या-1853239

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

नगर विकास विभाग **लखनऊः दिनांकः अक्टूबर, 2024**

विषयः रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस., जी.पी.एस., जी.पी.आर., ई-गवर्नेन्स, डिजिटल गवर्नेन्स तकनीक से सृजित किये गये डिजिटल डाटा बेस का विभागीय कार्यक्रमों, योजनाओं में उपयोग करते हुए उक्त तकनीक से सम्बन्धित समस्त कार्यों को वरीयता के आधार पर क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, (आरसीयूईएस) लखनऊ से कराये जाने से सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-4466(1)/9-5-15-227सा/2015 दिनांक 30.07.2015 (छायाप्रति संलग्नक-1) के द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को अटल मिशन फॉर रिजूवैशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (AMRUT), स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (नगरीय), हेरिटेज सिटी विकास एवं आगोमैन्टेशन योजना (HRIDAY) योजनाओं में रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है तथा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-220/33-3-2020-25/2020 दिनांक 18 मई, 2020 (छायाप्रति संलग्नक-2) के द्वारा भी आरसीयूईएस, लखनऊ को रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है। आवास विभाग के शासनादेश संख्या-1021(1)/आई-1-2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 (छायाप्रति संलग्नक-3) के द्वारा प्राधिकरणों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु भी आरसीयूईएस, लखनऊ को रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरसीयूईएस, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1968 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ में की गयी थी तथा 55 वर्षो से आरसीयूईएस, लखनऊ नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पादित कर रहा है। साथ ही आरसीयूईएस, लखनऊ द्वारा जी0आई0एस0, जी0पी0एस0 एवं रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से नगरीय निकायों के साथ-साथ कृषि विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य पूर्व में सम्पादित किये गये हैं।

शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा उक्त विषयक कार्य शासन की किसी विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से न करवाकर प्राइवेट संस्थाओं से कराये जा रहे हैं। अतः शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग अपनी योजनाओं/कार्यकलापों उक्त से सम्बन्धित कार्य विज्ञान एवं प्रोद्यौगिक विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या-45-1099/66/2023, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्नक-4) के अतिरिक्त वरीयता के आधार पर आरसीयूईएस, लखनऊ के माध्यम से भी कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त विभागों द्वारा आरसीयूईएस, लखनऊ से समन्वय स्थापित करते हुये विभागीय कार्यकलापों में रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस., जी.पी.आर. एवं लिडार तथा बैथीमैट्री तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयास किया जाये।

अतः आरसीयूईएस, लखनऊ को प्रादेशिक स्तर पर रिमोट सेन्सिंग, जी0आई0एस0, जी0पी0एस0, जी0पी0आर0, लिडार तथा बैथीमैट्री इत्यादि तकनीकी संबंधी कार्य किये जाने हेतु ''नोडल एजेन्सी'' नामित किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के समस्त विभाग/स्वायत्तशासी संस्थाएं, निकाय/स्थानीय निकाय, प्राथमिकता पर आरसीयूईएस, लखनऊ से समन्वय स्थापित करते हुए अपने विभाग में रिमोट सेंसिंग, जी०आई०एस०, जी०पी०एस०, जी0पी0आर0, लिडार तथा बैथीमैट्री तकनीक सम्बन्धी कार्यों को कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 17-10-2024 11:18:47

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

Akhileshwar Singh G.O.-2020-K.K.R.

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (संलग्नको सहित):-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Amrit Abhijat
Date: 17-10-2024 13:29:20

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-4466(1)/नौ-5-15-227सा/2015
लखनऊ : 30 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कई नई योजनाओं/कार्यक्रमों विशेषकर-अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन **(AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)**, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल-अर्बन, हेरिटेज सिटी विकास एवं आगोमेन्टेशन योजना-हृदय **(HRIDAY)** आदि हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनके सम्यक् अध्ययन के पश्चात् दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रदेश की अधिक से अधिक परियोजनाओं/कार्यो को स्वीकृत कराया जाना है। यह सभी कार्य समयबद्ध रूप से किया जाना है। अतः सन्दर्भित योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रदेश में क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार एवं मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को एतदद्वारा रिसोर्स सेन्टर नामित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

संख्या-4466(1)/नौ-5-15-227सा/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग।
(5) निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मा0 महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
(10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(11) निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(12) निदेशक, यूडा, उत्तर प्रदेश।
(13) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(14) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या– 720 /33–3–2020–25/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉकः 18 मई, 2020

विषयः–RCUES एवं CSIR-NEERI को पंचायतीराज विभाग का रिसोर्स सेन्टर नामित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES), लखनऊ, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–यू0आर0सी0/1853/24/2019–20, दिनांक 19–3–2020 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आर0सी0यू0ई0एस0 की प्रोफाइल एवं उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा अब तक सम्पादित किए गये कार्यों का विवरण उपलब्ध कराते हुए केन्द्र को रिसोर्स सेन्टर नामित करने की अपेक्षा की गयी है। केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (सी0एस0आई0आर0) की संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन0ई0ई0आर0आई0) भी सालिड लिक्विड बेस्ट मैनेजमेंट व इससे संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं दक्ष संस्था है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि RCUES एवं CSIR-NEERI को पंचायतीराज विभाग का रिसोर्स सेन्टर नामित किया जाता है।

भवदीय,

Manoj 18.5.20

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–एवं दिनाँक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 19–3–2020 के क्रम में।
4– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

DELL A

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या 1021 ()/आठ–1–2018
लखनऊ : दिनॉक 01 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्तमान में कई नई योजनाओं/कार्यक्रमों विशेषकर अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation), स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल–अर्बन, हेरिटेज सिटी विकास एवं आगोमेन्टेशन योजना हृदय (HRIDAY) आदि हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनके सम्यक अध्ययन के पश्चात दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अधिक से अधिक परियोजनाओं/कार्यो को समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्राधिकरणों एवं विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (श्री संजीव सिंह) को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को एतद्द्वारा रिसोर्स सेन्टर नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

P.O (DRAS) ... website पर ... Ag ...

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. भारत सरकार, शहरी मंत्रालय, नयी दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. मण्डलायुक्त कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ एवं गाजियाबाद, उ0प्र0।
5. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ एवं गाजियाबाद, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
7. विशेष सचिव, श्री संजीव सिंह एवं श्री राजेश कुमार पाण्डेय, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
9. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

File No.45-1099/65/2023- -1-

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग लखनऊ:दिनांक:04 सितम्बर 2023

विषयः रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश द्वारा रिमोट सेन्सिंग, जी.आई.एस. एवं जी.पी.एस. तकनीक से सृजित किये गये डिजिटल डाटा बेस का विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में उपयोग करते हुए उक्त तकनीक से सम्बन्धित समस्त कार्यों को वरियता के आधार पर रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के

1.	पत्र सं.- 3250/04.02.2000/7 (76)/2000 दिनांक 25.09.2000
2.	पत्र सं.- 1806/45वि/2004 दिनांक 17.09.2004
3.	पत्र सं.- 1239/45वि/2013-6(2)वि/2002 दिनांक 05.08.2013
4.	पत्र सं.- 1548/45वि/2015-7(15)वि/2015 दिनांक 25.01.2016
5.	पत्र सं.- सी.एम.-50/45वि/2018-7(15)वि/2015 दिनांक

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिवगण को प्रदेश में रिमोट सेन्सिंग, इमेज प्रोसेसिंग एवं जी.आई.एस. डिजिटल मैपिंग का कार्य रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0, लखनऊ से कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा रिमोट सेन्सिंग एवं जी.आई.एस. तकनीक से सबंधित कार्य राज्य सरकार द्वारा सहायतित रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश के माध्यम से न करवाकर प्राइवेट संस्थाओं से कराये जा रहे हैं। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0 द्वारा विशिष्ट योग्यता एवं अनुभव प्राप्त वैज्ञानिकों तथा समुचित संसाधनों के द्वारा रिमोट सेंसिंग, जी0आई0एस0, जी0पी0एस0, लिडार तथा बैथीमैट्री तकनीक के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

3. उक्त के क्रम में शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग अपनी योजनाओं/कार्यकलापों में रिमोट सेन्सिंग एवं जी.आई.एस. से सम्बन्धित कार्य वरीयता के आधार पर रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त विभागों द्वारा रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ.प्र. से समन्वय स्थापित करते हुये विभागीय कार्यकलापों में रिमोट सेन्सिंग, जी.आई.एस. एवं लिडार तथा बैथीमैट्री तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयास किया जाये।

4. आर0एस0ए0सी0, यू0पी0 द्वारा अद्यतनिकतम तकनीक के माध्यम से सृजित किये गये डिजिटल डाटा बेस का उपयोग ग्राम्य स्तर तक प्रभावी रूप करने हेतु आवश्यकतानुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों का आर0एस0ए0सी0,यू0पी0 के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाये तथा इन पर होने वाले व्यय को अपने विभागीय बजट में पृथक रूप से सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे उक्त प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने में सम्बन्धित विभाग को समुचित वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सके।

5. कृपया शासनादेश संख्या-सी0एम0-50/ 45वि-2018-7(15)वि/2015, दिनांक 18.12.2018 जिसके द्वारा प्रादेशिक स्तर पर रिमोट सेंसिंग, जी0आई0एस0, जी0पी0एस0, लिडार तथा बैथीमैट्री तकनीक सम्बन्धी कार्यों को किये जाने हेतु रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0 को "नोडल एजेन्सी" नामित किया गया है, के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के सभी विभाग/स्वायत्तशासी संस्थाएं,निकाय/स्थानीय निकाय, प्राथमिकता पर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0 से समन्वय स्थापित करते हुए अपने विभाग में रिमोट सेंसिंग, जी0आई0एस0, जी0पी0एस0, लिडार तथा बैथीमैट्री तकनीक सम्बन्धी कार्यों को कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 31-08-2023 20:46:22
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या-567(1)/45वि/2023-7(15)वि/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित (संलग्नकों सहित):-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. कार्यवाहक निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव